मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

कमांक 1077/1258/2018/ब-1/चार भोपाल दिनांक 24/11/2018

प्रति,
शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषय:—द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2018–2019 का विधान सभा में उपस्थापन

—0—

प्रायः द्वितीय वर्ष में द्वितीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन दिसम्बर अथवा जनवरी माह में किया जाता है, परंतु वर्तमान में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रचलन में होने से नवीन सरकार के गठन उपरांत तत्काल निर्णय लिया जा रहा है। विभागों की अतिरिक्त सार्थकता की आवश्यकता का आंकलन किये जाने के परिधियों में द्वितीय अनुपूरक के प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

2/) वित्त विभाग के परिपत्र कमांक—1062/815/11/ब-1/चार दिनांक 19/11/2018 द्वारा वर्ष 2018–19 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान की तैयार का अन्तिम बजट कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त परिपत्र की कंडिका 6 से 9 एवं कंडिका 12 तथा परिशिष्ट—2 में दिये गये निर्देशों का विविध रूप से पालन करते हुए द्वितीय अनुपूरक के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये जायें।

3/) वर्ष 2018–2019 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान में निम्न स्थर की मद्देन ही समिलित की जावेगी—

(1) जिनके लिये राज्य की आकर्षकता निधि से अधिम स्वीकृत किया गया हो।
(2) जिनके लिये निकृष्ट विभाग द्वारा सहमति दी गई हो।
(3) जिनके लिये भारत सरकार/अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है तथा जो विभाग मद्दै से विलुप्त न की जा सकती हो तथा जिस अनुपूरक साधन की व्यवस्था प्रशासनिक विभाग अन्य प्रचलित योजनाओं में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बजट की राशि से करें।

4/) कोई भी ऐसे नवीन मद्दों के प्रस्ताव समिलित नहीं किये जा सकेंगे जिनके राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त उपहार की जा रही हो। वाहन क्रम के कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किये जावेंगे।

5/) वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया प्रचलन में है, इसलिए नवीन योजनाओं के प्रस्ताव यदि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में समिलित करना आवश्यक हो, तो नई सरकार के गठन उपरांत प्रशासनिक अनुमोदन के साथ प्रेषित किये जायें।

6/) अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका की 6 प्रतियाँ (हिंदी में) संलग्न निर्धारित दो प्रतियों में वित्त विभाग को दिनांक 05-12-2018 तक निर्धारित रूप से भेजने का कार्य करें। कृपया यह भी सूचित करें कि निर्धारित प्रतियों के सभी स्थानों की आवश्यक पूर्ति कर दी गई है। योजनाओं के अंतर्गत यथा हेतु संगमर्म एवं विकास शीर्ष कार्यक्रम ही लिखे जायें। कृपया लेखा शीर्ष का पूर्ण विवरण का साहित्य परीक्षण कर लें।

//2//
7/— जिन मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होनी है, उनकी संक्षेपिका, केंद्रीय सहायता की राशि, जो राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्राप्त होगी, विशेष तौर से संलग्न की जायें। इसी प्रकार यदि कोई व्यय, जिसके लिए राशि मांगी जा रही है, उसे यदि स्वीकृत बजट की बजाय से लेखों में समायोजित होना है, तो उसके संबंध में अनुदान संख्या एवं शीर्ष सहित कृपया पूर्ण विवरण दिया जायें।

संलग्न :- दो प्रपत्र

(तेजस्वी एस. भायक)
संवालक बजट
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
अधिन्यास 

(त्रि वर्षीय अनुपूरक संबंध नै, 2018-2019 में सामिल बने तथा वाले साधन का प्रारूप (क्रृप्त के द्वारा गये प्रारूप में कोड, नाम आवश्यक रूप से भरे) (तथा एक पत्र एक ही योजना भरे ) (यदि एक ही योजना (क्रिकेट) अलग-अलग लेखा शीर्ष पर हो तो, तो भी उर्मिला के द्वारा आलम-अलग पत्र का उपयोग करे, अपूर्ण प्रस्ताव सीकार नही किये जायेंगे ) 

1. वजर शाखा तथा सहायक कोड: 
2. विभाग (कोड तथा नाम ) 
3. वजर प्रस्तावक अधिकारी (कोड तथा नाम) 
4. गांव संख्या 
5. मुख्य नीति 
6. उप मुख्य नीति 
7. लघु नीति 
8. मन्त्रेद्वय/भारती 
9. योजना (क्रिकेट) का नाम-(अधिकतम 20 शब्दों में ) 
9.1 योजना (क्रिकेट) का कोड 
9.2 संगमेत (कोड तथा नाम) 

कोड अलग-अलग भरे ) विकास शीर्ष (कोड तथा नाम) 
10. योजना (क्रिकेट) का प्रकार- (जो नाम, न हो उसे काट दें ) 

11. कार्य के रूपांतर: 

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतिरूप</th>
<th>नज़र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>सामान्य</td>
<td>सामान्य</td>
</tr>
<tr>
<td>केंद्रशीर्ष</td>
<td>केंद्रशीर्ष</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य</td>
<td>अन्य</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रयोग से हेतु व्यक्ति की मदद (सामान्य सामान्य में) 

<table>
<thead>
<tr>
<th>जायजा</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
<th>विभाग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पत्रधारा</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
</tr>
<tr>
<td>पत्रधारा</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
</tr>
<tr>
<td>पत्रधारा</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
</tr>
<tr>
<td>पत्रधारा</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
</tr>
<tr>
<td>पत्रधारा</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
<td>शहीद</td>
</tr>
</tbody>
</table>

12. आकर्षितकाद निवड से लिया गया अधिनियम 
13. वाहु किताबों से प्राप्त सहायता / अर्जन (स्पेशल कोड/नाम/आई.सी./विशेष शहीद संदर्भ/अन्य) 
(कुप्त नाम निकाहा )
14. यदि बजर द्वारा हो तो कुप्त एवं विवरण किनमुनसार दें। 
14.1 अन्य विवरणसम्बन्ध/अनुपूरक (बजर अनुपूरक +अनुपूरक) 
14.2 अन्य विवरणसम्बन्ध/अनुपूरक (बजर अनुपूरक +अनुपूरक) 
14.3 संगमेंट (कोड तथा नाम) 
14.4 मन्त्रेद्वय/भारती 
14.5 बजर की शीर्ष 
14.6 बजर द्वारा उपलब्ध आवंतन

(संशोधितका का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में कम्प्यूटर पत्र के साथ ही संलग्न करें)

बजर नियमन अधिकारी 
प्राधिकृत अधिकारी (प्रशासनिक विभाग)